**संलग्न 1**

**ग्राम पंचायत $string0** प्रखंड **$string1 जिला $string2**

दिनांकः-

**विषयः ग्राम पंचायत ................................. में वन अधिकार कानून 2006 के तहत गांव/उप गांव का चयन करने बारे।**

ग्राम पंचायत बैठक में इस बारे चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी कानून के नियम 2(क) एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी संशोधित नियम 2012 के अनुसार हमनें अपनी पंचायत में निम्न गांव मंे वन अधिकार कानून के तहत निम्न गांवों/उप गांवों का चयन किया है।

1.

2.

3.

4.

5.

उपरोक्त गॉवों की ग्राम सभा गठन के लिए बैठक बुलाकर कानून के अनुसार गांव स्तर की वन अधिकार समितियां गठित की जाएंगी। इनकी आम बैठक निम्न स्थान और समयानुसार आयोजित की जाएगी।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | गांव/उप गांव | बैठक की तिथि | बैठक का स्थान |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

इन ग्राम सभाओं की बैठक एवं वन अधिकार कानून की प्रक्रिया के लिए अलग-अलग कार्यवाही रजिस्टर लगाए जाएंगें।

पंचायत प्रधान पंचायत सचिव

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष- उपमण्डल स्तर वन अधिकार समिति \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_